

डेटा प्रॉसेसिंग पर जानकारी के

सर्विलांस उद्देश्यों के लिए इमेज प्रॉसेसिंग के

जेनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेगुलेशन (DSGVO) के अनुच्छेद 13 तथा 14 के अनुरूप

कंट्रोलर के नाम तथा संपर्क विवरण:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (इमिग्रेशन व असाइलम का फेडरल ऑफिस)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien

फोन: +43- 59 133 98 7004

फैक्स: +43- 59 133 98 7399

फैक्स: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at

डेटा प्रॉटेक्शन ऑफिसर के संपर्क विवरण:

फोन: +43- 59 133 98 0

ईमेल: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at

प्रॉसेसिंग का उद्देश्य जिसके लिए निजी डेटा लक्षित होते हैं:

कंट्रोलर के रूप में विशेष रूप से किसी पब्लिक लीगल निकाय द्वारा प्रयुक्त ओपनिंग आवर्स वाले किसी प्रशासनिक भवन के एक्सेस एरिया समेत प्रवेश द्वार पर एंक्रिप्टेड इमेज कैप्चरिंग; कंट्रोलर के रूप में किसी पब्लिक लीगल निकाय द्वारा गैर-विशेष रूप से प्रयुक्त किसी प्रशासनिक भवन (जैसे कि भवन का आधा हिस्सा, एक फ्लोर) के स्थान के लिहाज से पृथक खंड के एक्सेस एरिया समेत या कोई पृथक प्रवेश द्वार, साथ ही इमेज प्रॉसेसिंग के कंट्रोलर के रूप में किसी पब्लिक लीगल निकाय के स्वामित्व वाले किसी प्रशासनिक भवन का अग्रभाग, या वे जो प्रशासनिक भवन के अग्रभाग में होने वाली किसी क्षति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो संपत्ति की सुरक्षा तथा कॉन्ट्रैक्टिंग प्राधिकार के साथ कानूनी संबंध वाले व्यक्तियों की जान-माल तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा, किसी संभावित आपराधिक कार्यवाहियों की रोकथाम तथा समाधान के लिए हो, जबतक कि कॉन्ट्रैक्टिंग प्राधिकार की जिम्मेदारियां उनके द्वारा प्रभावित होती हों तथा केवल तब विज्ञेपित किए जाएं जब उस उद्देश्य के लिए प्रयोज्य हो, जहां इमेज कैप्चरिंग की अनुमतता डेटा प्रॉटेक्शन ऐक्ट (DSG) के अनुच्छेद 12 का पालन करता हो।

प्रॉसेसिंग के लिए कानूनी आधार:

डेटा प्रॉटेक्शन ऐक्ट (DSG) का अनुच्छेद 12, 13 ; सिविल कोड (ABGB) का अनुच्छेद 353 ff तथा अनुच्छेद 1157; फेडरल सिविल सर्वेयर्स प्रॉटेक्शन ऐक्ट (B-BSG) का अनुच्छेद 3; क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड 1975 (StPO) का अनुच्छेद 80

वह अवधि जिसके लिए निजी डेटा को भंडारित किया जाएगा:

72 घंटे, यदि ऐसे डेटा की आवश्यकता उस उद्देश्य के लिए न रह जाती हो जिसके लिए उन्हें कैप्चर किया गया हो।

निजी डेटा के प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियां:

योग्य प्राधिकार क्रमशः योग्य अदालत (आपराधिक मामलों में साक्ष्य सुरक्षित करने के लिए); सुरक्षा एजेंसियां (खुफिया उद्देश्यों के लिए); अदालतें (सिविल मामलों में साक्ष्य सुरक्षित करने के लिए), बीमा कंपनियां (केवल बीमा दावों के निपटारे के लिए)

डेटा के अधिकार इनके अधीन होते :

ऑसिथरथ्यन डेटा परथॉटेक्शन ऑथोरिटी (1030 Wien, Barichgasse 40–42, फोन +43 1 52 152-0, email dsb@dsb.gv.at) डेटा परथॉटेक्शन ऐक्ट (DSG) के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 24 के अनुरूप शिकायत दर्ज करने का अधिकार लागू होता है।

एक्सेस करने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 15 में वर्णित है।

सुधारने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 16 में वर्णित है।

मिटाने ('भुला दिए जाने का अधिकार') का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 17 में वर्णित है।

DSGVO के अनुच्छेद 21 के अनुरूप आपत्ति करने का कोई अधिकार और DSGVO के अनुच्छेद 18 के अनुरूप डेटा प्रॉसेसिंग को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार असाइलम सीकर्स तथा अन्य एलिजिबल एलिगेंस को बेसिक केयर व सर्विसेस प्रदान करने से जुड़े फेडरल ऐक्ट के अनुरूप निजी डेटा के प्रॉसेसिंग के लिए लागू नहीं होता।